पत्र सं0–7/स्थापना व्यय–आवंटन–11/2023–...12(7)स्वा./

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/स्वा0,राँची,दिनांकः 23/04/2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ– 103–यूनानी– 01–यूनानी– औषधालय के अन्तर्गत कुल ₹ 36,88,000/– (छत्तीस लाख अठासी हजार) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online आवंटन के विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	मांग संख्या–20/2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ	103–यूनानी–01–यूनानी–औषधालय	₹ 36,88,000/– (छत्तीस लाख अठासी हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 एवं पत्रांक–1681 दिनांक 10.06.15 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिले के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. आयुष निदेशालय के द्वारा यूनानी औषधालयों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के **COBT – Form 3A** में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः **COBT – Form 3A** के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो **Form 3A** में सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की यूनानी औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन की निकासी करेंगे।

ii) प्रत्येक माह का वेतन विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **Ghost Employee**/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

iv) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

14. यूनानी औषधालयों के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में यूनानी औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

12(7)ब
23/04/2026

(शिवजी वर्मा) सरकार के अवर सचिव	(अनन्त कुमार) सरकार के उप सचिव	(सीमा कुमारी उदयपुरी) सरकार के संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

15. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरूद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

16. सभी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ यूनानी औषधालयों का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/स्थापना व्यय–आवंटन–11/2023– 12(7)स /स्वा0,राँची,दिनांक– 23/04/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–11/2023– 12(7)स /स्वा0,राँची,दिनांक– 23/04/2026

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक आयुष, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)	(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100410301000101	3688000
	कुल आवंटित राशि		**3688000**

कुल ₹ 36,88,000/– (छत्तीस लाख अठासी हजार)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	वेतन	कुल
1	Dhanbad	1056000	1056000
2	Jamshedpur	754000	754000
3	Latehar	462000	462000
4	Pakur	482000	482000
5	Sahebganj	934000	934000
	Grand Total	**3688000**	**3688000**

12(7)ब
23/04/2026

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 04 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां & 103 - यूनानी & 01 - यूनानी - औषधालय

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100410301000101	Total
					वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhanbad	DHNMED103	Dr. Kumkum	I/C Dist.Ayush Medical Off.Dhn	₹10,56,000.00 (5263)	₹10,56,000.00
2	Jamshedpur	JSRMED202	Dr.Mukul Kumar Dikshit	Dist.Ayush Med.Off.Jsr.	₹7,54,000.00 (5267)	₹7,54,000.00
3	Latehar	LTRMED091	Dr. Om Prakash	D.A.M.O.Latehar	₹4,62,000.00 (5273)	₹4,62,000.00
4	Pakur	PKRMED035	Vipin Chandra Gupta	Dist.Ayush Medical Officer	₹4,82,000.00 (5285)	₹4,82,000.00
5	Sahebganj	SBJMED004	Alok Chandra Shrivastava	Dist. Ayush Med.Off.Sbg	₹9,34,000.00 (5289)	₹9,34,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹36,88,000.00 (छत्तीस लाख अठयासी हजार **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

12(7)ब
23/04/2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY